प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.06.2024

□□POLICE CRACKDOWN□□

□□पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिनांक 19.06.2024 □□

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस व 01 खोका कारतूस, 01 पीली धातु की अंगूठी, एक मोबाइल, 4,650/– रू0 व एक मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 18.06.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर सै0- 2/5 की पुलिया वैशाली पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी तभी कुछ देर बाद एक संदिग्ध व्यक्ति इन्दिरापुरम की तरफ से मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो वह रुका नहीं बल्कि एलीवेटेड के नीचे यूपीगेट की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगा जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया कुछ दूर आगे चलकर उस संदिग्ध व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और भागने लगा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बायें पैर में गोली लगी। जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उपरोक्त ने ने बताया कि मैने जनपद बुलन्दशहर में चोरी व लूट की कई घटनाओं को अन्जाम दिया है तथा कुछ दिन पहले ही मैने एक लूट की घटना बैंगलोर सिटी कर्नाटक में व उसके बाद एक दुकान में चोरी की घटना वैशाली गाजियाबाद में भी की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शिवम पुत्र अशोक वर्मा उर्फ अशोक शरन वर्मा निवासी- वरन अपार्टमेन्ट गंगानगर थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस व 01 खोका कारतूस, 01 पीली धातु की अंगूठी, 01 मोबाइलकी पैड, 4,650 रु0 व एक मोटर साइकिल होण्डा साइन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 223/21 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना बीबी नगर जनपद बुलंदशहर
2. मु0अ0सं0 328/21 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना बीबी नगर जनपद बुलंदशहर
3. मु0अ0सं0 348/21 धारा 4/25 A.Act थाना बीबी नगर जनपद बुलंदशहर
4. मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीबीनगर जनपद बुलंदशहर
5. मु0अ0सं0 218/23 धारा 379,411,420 भा0द0वि0 थाना औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर
6. मु0अ0सं0 438/23 धारा 392,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर
7. मु0अ0सं0 546/23 धारा 3/25 A.Act थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर
8. मु0अ0सं0 583/23 धारा 392,411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर
9. मु0अ0सं0 20/24 धारा 3/25 A.Act थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर
10. मु0अ0सं0 324/24 धारा 392 भा0द0वि0 थाना महादेवपुरा, बंगलौर सिटी, कर्नाटक 11. मु0अ0सं0 231/24 धारा 381,411,120 बी0 भा0द0वि0 थाना कौशांबी कमिश्नरेट गाजियाबाद
12. मु0अ0सं0 253/24 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कौशांबी कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.06.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तों द्वारा रूपयों के लेनदेन को लेकर मेरे पुत्र अमल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसमें तत्काल थाना वेव सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गईं। तत्पश्चात दिनांक 03-06-2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में 02 अभियुक्तों 1. जिले सिंह पुत्र जयप्रकाश यादव उम्र 41 वर्ष 2. अतुल यादव पुत्र जिले सिंह उम्र 21 वर्ष एवं दिनांक 16.06.2024 को अभियुक्त 3. विष्णु उर्फ काले पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 19.06.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट के आधार पर हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र अमरपाल यादव निवासी ग्राम नान थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ उम्र करीब 24 वर्ष को लालकुआं से बुलन्दशहर पर जाने वाले रास्ते पर आनन्द अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं जिले सिंह यादव के भाई राजू यादव के पानी के प्लांट में पानी बांटने का काम करता हूँ तथा जिले सिंह यादव के यहां (मृतक) अमल यादव ने साल 2010 से 2023 तक मुंशी का काम किया था और उसके ऊपर कुछ रुपये निकल रहे थे, जब भी अमल यादव से रुपये मांगे तो वह टालमटोल कर देता था उसके बाद उसने जिले सिंह यादव के यहाँ पर काम करना छोड़ दिया था और कहीं और काम करने लगा। जब भी जिले सिंह यादव अपने पैसे अमल यादव से मांगता तो अमल हमेशा कह देता कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं कोई पैसा नहीं दूंगा जो करना हो कर लेना। इसी बात पर दिनांक 03/06/2024 को शाम को समय करीब साढे सात बजे हमें जानकारी हुई कि अमल यादव अपने प्लाट पर काम करवा रहा है और वहीं मौजूद है तो उसे जान से मारने का प्लान बनाया और साथ में जिले सिंह यादव , अतुल यादव , विष्णु उर्फ काले व मैं किसान आदर्श स्कूल के पास बम्हैटा में अमल यादव के प्लाट पर गये, जहां अमल यादव मकान का निर्माण करवा रहा था। अमल यादव से पैसों को लेकर जिले सिंह यादव की कहासुनी हो गयी थी, बात काफी बढ़ गयी तो जिले सिंह यादव व उसके पुत्र अतुल यादव ने अमल यादव को जान से मारने की नीयत से तमंचों से अमल यादव पर फायरिंग कर दी जिससे गोली लगने से अमल यादव वहीं जमीन पर गिर गया था। इसके बाद हम सभी लोग वहाँ से भाग गए थे और आज मैं शाहपुर बम्हैटा में छुपते छिपाते जानकारी करने आया था कि अमल यादव वाले मामले में क्या चल रहा है और छुपते छिपाते मौका पाकर यहाँ से भागने की फिराक में था लेकिन आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

विकास पुत्र अमरपाल यादव निवासी ग्राम नान थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़, उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना वेव सिटी पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए बाथरूम के 02 हैंड, 01 मैन शावर, 01 सीट सिस्टर्न, 05 टैप्स, 02 नॉब्स व 03 शावर क्लिप बरामद।

दिनांक 17.05.2024 को वादी श्री सचिन सिंघल पुत्र स्व0 मदनलाल सिंह सिंघल निवासी सी-13 चन्द्रनगर थाना लिंकरोड की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की जिम फिट फोर फिटनेस में घुसकर बाथरुम के 02 हैंड शोअर, 01 मैन शोवर, 01 सीट सिस्टर्न, 05 टैप्स, 02 नॉब्स, 03 शावर क्लिप व डी0बी0आर0 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। घटना का संज्ञान लेते हुये टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त संदीप पुत्र रामप्रकाश उर्फ महेन्द्र **निवासी** ग्राम प्रकाश शहसवान कांकसी बदायूँ उम्र करीब 30 वर्ष को रामप्रस्था रेलवे फाटक के पास से

चोरी किये हुए बाथरूम के 02 हैंड, 01 मैन शावर, 01 सीट सिस्टर्न, 05 टैप्स, 02 नॉब्स व 03 शावर क्लिप सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त सन्दीप पुत्र रामप्रकाश ने पूछने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। मैंने नशे पूर्ति के लिये यह सामान चोरी किया था। आज मैं इसे बचने के लिये जा रहा था ताकि मै अपने नशे की पूर्ति कर सकूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

संदीप पुत्र रामप्रकाश उर्फ महेन्द्र **निवासी** ग्राम प्रकाश शहसवान कांकसी बदायूँ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी किये हुए बाथरूम के 02 हैंड, 01 मैन शावर, 01 सीट सिस्टर्न, 05 टैप्स, 02 नॉब्स व 03 शावर क्लिप बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त सन्दीप के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग ,एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग , जुआ अधिनियम का 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 19.06.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्त 1. पकंज पुत्र ब्रह्मपाल **निवासी** गली नं0 8, साईट 4 महाराजपुर झुग्गी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद **मूल पता** ग्राम कछला घाट थाना उझानी जिला बदायूँ उम्र करीब 22 वर्ष 2. मोहित कुमार पुत्र मदन सिंह **निवासी** ग्राम फरीदपुर सधैरन पोस्ट हल्दौर थाना हल्दौर जिला बिजनौर उम्र करीब 32 वर्ष 3. नदीम पुत्र दिलशाद **निवासी** जाहनवी बुटीक सोम बाजार रोड जगतपुरी थाना जगतपुरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष व 4. प्रमोद कुमार उर्फ मोनू पुत्र मोहर सिंह **निवासी** विल्ला का मकान भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद **मूल निवासी** कमलानगर शुक्रावली रामघाट रोड नजदीक आरएएफ कैम्प थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को शुक्र बाजार रोड भोवापुर थाना कौशाम्बी से चोरी की 04 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम चारों लोग दिल्ली व एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर ऑफिस व घर के बाहर एवं सड़क पर खड़ी मोटर साइकिल व स्कूटी को मौका देखर चोरी कर

लेते है। और अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर राह चलते लोगों को अपनी परेशानी बताकर सस्ते दामों पर बेच देते थे। यह 04 स्कूटी हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चोरी की है। जिन्हें हम बेचने के लिये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. पकंज पुत्र ब्रहमपाल **निवासी** गली नं0 8, साईट 4 महाराजपुर झुग्गी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद **मूल पता** ग्राम कछला घाट थाना उझानी जिला बदायूँ उम्र करीब 22 वर्ष।
2. मोहित कुमार पुत्र मदन सिंह **निवासी** ग्राम फरीदपुर सधैरन पोस्ट हल्दौर थाना हल्दौर जिला बिजनौर उम्र करीब 32 वर्ष।
3. नदीम पुत्र दिलशाद **निवासी** जाहनवी बुटीक सोम बाजार रोड़ जगतपुरी थाना जगतपुरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष।
4. प्रमोद कुमार उर्फ मोनू पुत्र मोहर सिंह **निवासी** विल्ला का मकान भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद **मूल निवासी** कमलानगर शुक्रावली रामघाट रोड नजदीक आरएएफ कैम्प थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 04 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1. गिरफ्तार अभियुक्त नदीम पुत्र दिलशाद के विरूद्ध चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत है।
2. गिरफ्तार अभियुक्त पंकज पुत्र ब्रहमपाल के विरूद्ध चोरी से सम्बन्धित 01 व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग थाना लिंकरोड पर पंजीकृत है।
3. गिरफ्तार अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र मदन सिंह के विरूद्ध आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग थाना हल्दौर जिला बिजनौर में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना से संबंधित लूटा गया मोबाइल फोन व 1000/- रुपये बरामद।

दिनांक 18.06.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मैं व मेरा लड़का मोटरसाइकिल से अपने गाँव से ग्राम सौन्दा भट्टे पर जा रहे थे तभी अचानक से चार लड़कों ने आकर मेरी जेब से मोबाइल व 2000 रू0 निकाल लिये व मेरे बेटे की जेब से 3000 रू. निकाल लिये। उपरोक्त तहरीर पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 18-06-2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त घटना को कारित करने वाले 02 लुटेरे अभियुक्तों 1. फैजान पुत्र नजाकत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला कच्ची सराय अबूबकर मस्जिद के पास कस्बा मुरादनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद 2 .सुऐब पुत्र इकबाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी गली नं0 02 मोहल्ला मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को रावली रोड कट से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन व 1000/- रुपये बरामद किये गये। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों के अन्य 02 लुटेरे साथियों 1.फैसल पुत्र इस्तियाक निवासी कोट मोहल्ला कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद 2. रिहान पुत्र स्व सगीर अल्वी नि0 मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान दिनांक 18.06.2024 की रात्रि को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से लूटी गयी 01 चैन पीली धातु, लूटे गये 2700 रुपये, 02 तमंचा 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 खोखा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाईकिल बरामद।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने बताया कि यह मोबाइल फोन व पैसे जो हमसे बरामद हुए है यह अम्बेडकर पार्क के सामने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों से जो वहाँ सड़क पर खड़े हुए थे इनमे से एक व्यक्ति से मोबाईल फोन व 2000 रूपये व दूसरे से 3000 रूपये हम दोनों व हमारे दो अन्य साथी 1.फैसल पुत्र इस्तियाक निवासी कोट मोहल्ला कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद 2. रिहान पुत्र स्व सगीर अल्वी नि0 मलिक नगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद ने मिलकर छीने थे। कुछ रुपए हमने खर्च कर लिए थे शेष 1000 रुपये बचे जो आपने हमसे बरामद किये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. फैजान पुत्र नजाकत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला कच्ची सराय अबूबकर मस्जिद के पास मुरादनगर, गाजियाबाद
2. सुऐब पुत्र इकबाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी गली नं0 02 मोहल्ला मलिक नगर मुरादनगर, गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त फैजान के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर लूट/बरामदगी के 02 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व थाना मसूरी पर लूट के 02 अभियोग, कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त सुऐब के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

लूटा गया मोबाइल फोन व 1000/- रुपये बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से नकली HARPIC TOILET CLEANER की तैयार 139 बोतल 500ML तथा 561 खाली बोतल व 850 ढक्कन लाल रंग तथा बोतल पर लगाने वाले 1669 स्टीकर व नकली फेविक्विक 21289 तथा खाली पन्नी रैपर 13146 , फेविक्विक ट्यूब खाली 14160 तथा दो पैकिंग मशीन बरामद।

दिनांक 18-06-2024 को थाना नन्दग्राम पर पिडिलाइट इन्ड्रस्ट्रीज लि0 तथा रेकिट बेकिजर इंडिया प्रा0लि0 कम्पनी के लीगल एडवाईजर ने सूचना दी कि आश्रम रोड नन्दग्राम में एक मकान में नकली हार्पिक व फेविक्विक पैक की जा रही है। उक्त सूचना पर थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके से 02 अभि0गण को मय नकली HARPIC TOILET CLEANER की तैयार 139 बोतल 500ML तथा 561 खाली बोतल व 850 ढक्कन लाल रंग तथा बोतल पर लगाने वाले 1669 स्टीकर व नकली फेविक्विक 21289 तथा खाली पन्नी रैपर 13146 , फेविक्विक ट्यूब खाली 14160 तथा दो पैकिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता--

1) आकाश पिता श्री सियाराम निवासी कालोनी सुभाष नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।
2) सर्वेश पुत्र श्री सुखराम निवासी ग्राम सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमारे द्वारा यह नकली सामान कपिल व चन्द्रप्रकाश के कहने पर यहां पर पैक किया जाता है, वे लोग हमें प्रतिदिन 600 रुपये दिहाडी भी देते थे और वे ही इसको स्पलाई करते है।

बरामदगी का विवरण—

अभि0गण के कब्जे से नकली HARPIC TOILET CLEANER की तैयार 139 बोतल 500ML तथा 561 खाली बोतल व 850 ढक्कन लाल रंग तथा बोतल पर लगाने वाले 1669 स्टीकर व नकली फेविक्विक 21289 तथा खाली पन्नी रैपर 13146, फेविक्विक ट्यूब खाली 14160 तथा दो पैकिंग मशीन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।